

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी

मि०न० - 55/2022

अनवान :-

1. छोटूराम पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी रामगढिया तहसील भादरा।



:-वादी

बनाग

1. भरतसिंह पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी रामगढिया तहसील भादरा।
2. सुबेसिंह पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी रामगढिया तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री मुंशीराम गोस्वामी व वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र मील की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा चक चक 9 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 64/64 के मु० न० 23 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2 कुल 0.759है० जिसमें नहरी 0.684है०, गै० मु० खाला 0.075है० व रोही मौजा चक 10 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 76/67 के मु० न० 6 किला न० 17, 18, 22/1, 23, 24 कुल 1.138है० नहरी व रोही चक 13 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 43/45 के मु० न० 15 किला न० 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19 कुल 2.277है० जिसमें नहरी 2.227है०, गै०मु० खाला 0.050है० खातेदारी कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तर्फा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डीकी किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

चक 13 जेजीडब्ल्यू

छोटूराम पुत्र भुराराम जाति जाट साकिन रामगढिया खातेदार:- मु० न० 15 किला न० 2/1 की 0.228है०, किला न० 2/2 की 0.025है०, किला न० 3/1 की 0.102है० उत्तरी पासा, किला न० 3/2 की 0.025है०, किला न० 9/1 की 0.240है०, किला न० 9/2 की 0.013है० गै० मु० रास्ता, किला न० 12 की 0.253है०, किला न० 19 की 0.253है० कुल रकबा 1.139है०, जिसमें नहरी 1.126है० गै० मु० रास्ता 0.013है०

भरतसिंह पुत्र भुराराम जाति जाट साकिन रामगढिया खातेदार:- मु० न० 15 किला न० 3/3 की 0.126है० दक्षिणी, किला न० 8 की 0.253है०, किला न० 13 की 0.253है०, किला न० 17 की 0.253है०, किला न० 18 की 0.253है० कुल रकबा 1.138है० नहरी

सुबेसिंह पुत्र भुराराम जाति जाट साकिन रामगढिया खातेदार:- मु० न० 6 किला न० 17 व 18

सुबेसिंह पुत्र भुराराम जाति जाट साकिन रामगढिया खातेदार :- मु० न० 6 किला न० 17 व 18 की 0.506है०, किला न० 22/1 की 0.126है०, किला न० 23 व 24 की 0.506है० कुल रकबा 1.138है० नहरी।

चक 9 जेजीडब्ल्यू:-



द्वाराम पुत्र भुराराम जाति जाट साकिन रामगढिया खातेदार:- मु० न० 6 किला न० 1/1 की 216 है० नहरी, किला न० 2/1 की 0.004 है० नहरी, किला न० 1/3 की 0.012 है० गै० मु० रास्ता, किला न० 1/2 की 0.025 है० गै० मु० खाल, कुल रकबा 0.257 है० जिसमें नहरी 0.220 है०, गै० मु० रास्ता 0.12 है०, गै० मु० खाला 0.025 है०।


बेसिंह पुत्र भुराराम जाति जाट साकिन रामगढिया खातेदार :- मु० न० 6 किला न० 2/1 की 212 है० नहरी, किला न० 3/1 की 0.008 है० नहरी, किला न० 2/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, किला न० 2/3 की 0.012 है० गै० मु० रास्ता, कुल रकबा 0.257 है० जिसमें नहरी 0.220 है०, गै० मु० खाला 0.025 है०, गै० मु० रास्ता 0.012 है०,

रतसिंह पुत्र भुराराम जाति जाट साकिन रामगढिया खातेदार:- मु० न० 6 किला न० 3/1 की 220 है० नहरी, किला न० 3/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, कुल रकबा 0.245 है० जिसमें नहरी 0.20 है०, गै० मु० खाला 0.025 है०,

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता वं लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव को डिक्री का भाग पढा जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/10/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




  
(अखण्ड अधिकारी (राजस्व))  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) R.A.S  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

क्रि० न० - 55/2022

अनवान :-

1. छोटूराम पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी रामगढिया तहसील भादरा।



:-वादी

बनाम

1. भरतसिंह पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी रामगढिया तहसील भादरा।
2. सुबेसिंह पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी रामगढिया तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री मुंशीराम गोस्वामी वादी

श्री सुरेन्द्र मील प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 27/10/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक चक 9 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 64/64 के मु० न० 23 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2 कुल 0.759 है० जिसमें नहरी 0.684 है०, गै० मु० खाला 0.075 है० व रोही मौजा चक 10 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 76/67 के मु० न० 6 किला न० 17, 18, 22/1, 23, 24 कुल 1.138 है० नहरी व रोही चक 13 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 43/45 के मु० न० 15 किला न० 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19 कुल 2.277 है० जिसमें नहरी 2.227 है०, गै० मु० खाला 0.050 है० खातेदारी कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तर्का खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग-अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सींव डोल बने हुये है। राजस्व रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने जवाबदावा पेश किया व जो शामिल मिसल है।

श्री (राजस्व) बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि पक्षकारान के हिस्सा अनुसार मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के विवादित भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किया जावे जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक चक 9 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 64/64 के मु० न० 23 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2 कुल 0.759 है० जिसमें नहरी 0.684 है०, गै० मु० खाला 0.075 है० व रोही मौजा चक 10 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 76/67 के मु० न० 6 किला न० 17, 18, 22/1, 23, 24 कुल 1.138 है० नहरी व रोही चक 13 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 43/45 के मु० न० 15 किला न० 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19 कुल 2.277 है० जिसमें नहरी 2.227 है०, गै० मु० खाला 0.050 है० खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः

अद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डीकी किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

चक 13 जेजीडब्ल्यू

छोटूराम पुत्र भूराराम जाति जाट साकिन रामगढिया खातेदार:- मु0 न0 15 किला न0 2/1 की 0.228है0, किला न0 2/2 की 0.025है0, किला न0 3/1 की 0.102है0 उतरी पासा, किला न0 3/2 की 0.025है0, किला न0 9/1 की 0.240है0, किला न0 9/2 की 0.013है0 गै0 मु0 रास्ता, किला न0 12 की 0.253है0, किला न0 19 की 0.253है0 कुल रकबा 1.139है0, जिसमें नहरी 1.126है0 गै0 मु0 रास्ता 0.013है0

भरतसिंह पुत्र भूराराम जाति जाट साकिन रामगढिया खातेदार:- मु0 न0 15 किला न0 3/3 की 0.126है0 दक्षिणी, किला न0 8 की 0.253है0, किला न0 13 की 0.253है0, किला न0 17 की 0.253है0, किला न0 18 की 0.253है0 कुल रकबा 1.138है0 नहरी

चक 10 जेजीडब्ल्यू:-

सुबेसिंह पुत्र भूराराम जाति जाट साकिन रामगढिया खातेदार :- मु0 न0 6 किला न0 17 व 18 की 0.506है0, किला न0 22/1 की 0.126है0, किला न0 23 व 24 की 0.506है0 कुल रकबा 1.138है0 नहरी।

चक 9 जेजीडब्ल्यू:-

छोटूराम पुत्र भूराराम जाति जाट साकिन रामगढिया खातेदार:- मु0 न0 6 किला न0 1/1 की 0.216है0 नहरी, किला न0 2/1 की 0.004है0 नहरी, किला न0 1/3 की 0.012है0 गै0 मु0 रास्ता, किला न0 1/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाल, कुल रकबा 0.257है0 जिसमें नहरी 0.220है0, गै0 मु0 रास्ता 0.012है0, गै0 मु0 खाला 0.025है0।


सुबेसिंह पुत्र भूराराम जाति जाट साकिन रामगढिया खातेदार :- मु0 न0 6 किला न0 2/1 की 0.212है0 नहरी, किला न0 3/1 की 0.008है0 नहरी, किला न0 2/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 2/3 की 0.012है0 गै0 मु0 रास्ता, कुल रकबा 0.257है0 जिसमें नहरी 0.220है0, गै0 मु0 खाला 0.025है0, गै0 मु0 रास्ता 0.012है0,

भरतसिंह पुत्र भूराराम जाति जाट साकिन रामगढिया खातेदार:- मु0 न0 6 किला न0 3/1 की 0.220है0 नहरी, किला न0 3/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, कुल रकबा 0.245है0 जिसमें नहरी 0.220है0, गै0 मु0 खाला 0.025है0,

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/10/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(शकुंतला चौधरी)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़

